!! गौमाता की जय !!

श्री टाटानगर गौशाला
SRI TATANAGAR GOUSHALA

स्था. १९१९ जमशेदपुर

पो० : जुगसलाई, जमशेदपुर-८३१००६ ☎ २२९१०८५
P.O. : Jugsalai, Jamshedpur - 831 006 ☎ 2291085

दिनांकः— 27.08.2017

प्रेस विज्ञप्ति

श्री टाटानगर गौशाला कार्यसमिति व संरक्षक मंडल का चुनाव वर्ष 2017–19 का चुनाव दिनांक 27.08.2017 रविवार को गौशाला प्रांगण में सम्पन्न हुआ, जिसमें निम्नलिखित उम्मीदवार निर्वाचित हुए।

	अध्यक्ष :— पद— 1 (एक)	
क.	प्रत्याशी का नाम	
1	श्री कैलाश कुमार सरायवाला	निर्विरोध
	उपाध्यक्ष :— पद— 4 (चार)	
1	श्री हरिशंकर संघी	निर्विरोध
2	श्री सुरेश कुमार नरेडी	निर्विरोध
3	श्री विमल कुमार अग्रवाल (मंगोतिया)	निर्विरोध
4	श्री राजेश कुमार मंगोतिया (लड्डू)	निर्विरोध
	महासचिव :— पद— 1 (एक)	
1	श्री महेश गोयल	निर्वाचित
	सह सचिव :— पद— 4 (चार)	
1	श्री रतनलाल मंगोतिया	निर्विरोध
2	श्री राजेश हरनाथका	निर्विरोध
3	श्री कैलाश चन्द गोयल	निर्विरोध
4	श्री बिट्ठल कुमार अग्रवाल	निर्विरोध
	कोषाध्यक्ष :— पद— 1 (एक)	
1	श्री कैलाश चन्द अग्रवाल	निर्वाचित
	कार्यसमिति सदस्य— संरक्षक सदस्य श्रेणी से :— पद— 7 (सात)	
1	श्री गिरधारीलाल शर्मा	निर्विरोध
2	श्री प्रमोद कुमार सरायवाला	निर्विरोध
3	श्री संतोष खेतान	निर्विरोध
4	श्री प्रदीप काबरा	निर्विरोध
5	श्री दीनदयाल कांवटिया	निर्विरोध
6	श्री अनिल अग्रवाल (मोन्टी)	निर्विरोध
7	श्री रमेश सिंघानिया	निर्विरोध
	कार्यसमिति सदस्य— आजीवन सदस्य श्रेणी से :— पद— 4 (चार)	
1	श्री विजय कुमार मुरारका	निर्विरोध
2	श्री उत्तम कुमार नरेडी	निर्विरोध

!! गौमाता की जय !!

श्री टाटानगर गौशाला

SRI TATANAGAR GOUSHALA

पो० : जुगसलाई, जमशेदपुर-८३१००६ ☎ २२६१०८५
P.O. : Jugsalai, Jamshedpur - 831 006 ☎ 2291085

कार्यसमिति सदस्य– साधारण सदस्य श्रेणी से:– पद– 3 (तीन)		
1	श्री राजेश रींगसिया	निर्विरोध
2	श्री राजकुमार अग्रवाल	निर्विरोध
3	श्री शैलेश गोलछा	निर्विरोध
संरक्षक मंडल :– पद– 5 (पांच)		
1	श्री गजानन्द भालोटिया	निर्विरोध
2	श्री उमेश कांवटिया	निर्विरोध
3	श्री अनिल कुमार अग्रवाल (मैगोतिया)	निर्विरोध
4	श्री विमल कुमार मुरारका	निर्विरोध
5	श्री रमेश अग्रवाल (मैगोतिया)	निर्विरोध

27/8/2017

आर. के. झुनझुनवाला	एन. के. जैन	आर. के. गोयल
चुनाव पदाधिकारी	चुनाव पदाधिकारी	चुनाव पदाधिकारी

।।श्री।।

श्री टाटानगर गौशाला की प्रबंधन समिति के संरक्षकगण और पदाधिकारियों की एक बैठक विगत दिनांक16 सितम्बर 2017, शनिवार को अध्यक्ष कैलास सरायवाला की अध्यक्षता में गौशाला कार्यालय में संपन्न हुई. *जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए तथा निम्न विषयों पर चर्चा हुई–*

विचारणीय विषयः–

1. *गौशाला टाकीज के स्थान पर मार्केट काम्प्लेक्स निर्माण कराने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श।*
2. *अन्यान्य, अध्यक्ष की अनुमति से।*

उपस्थितिः–

1. *श्री कैलाश सरायवाला*
2. *श्री महेश गोयल*
3. *श्री हरिशंकर संधी*
4. *श्री विमल कुमार मुरारका*
5. *श्री रमेश अग्रवाल*
6. *श्री*
7. *श्री विमल अग्रवाल*
8. *श्री रतनलाल मेगोतिया*
9. *श्री कैलाश चन्द अग्रवाल*
10. *श्री सुरेश नरेडी*

बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत अध्यक्ष कैलास सरायवाला ने किया।

- बैंठक में गौशाला परिसर स्थित गौशाला टॉकीज के स्थान पर मॉल बनाने का सर्वसम्मति से निर्णय हुआ.
- संरक्षक श्री रमेश अग्रवाल ने कहा कि प्रस्तावित मॉल निर्माण के कार्य आरंभ करने से पूर्व मास्टर प्लान बना लेना चाहिए। मॉल का निर्माण चरणबद्ध तरीके से होगा और जिसमें 3 स्क्रीन का सिनेमा हॉल भी शामिल होगा। उन्होंने कार्ययोजना पर व्यापक चर्चा करते हुए प्रकाश डाला कि मॉल से संबंधित वित्तीय लेनदेन सहित अन्य प्रकल्प का अलग से अकाउंट मेंटेन करना है. मॉल से सम्बन्धित ठेकेदार व आर्किटेक चयन सहित मास्टर-प्लान बनवाने की जिम्मेदारी स्वयं श्री रमेश अग्रवाल ने ली.
- बैठक में मॉल के लिए एक गौशाला शीर्षक से संबंधित एक नाम का चयन अथवा प्रस्ताव करने के लिए चर्चा हुई.
- बैठक में रैम्प के नीचे खाली पड़ी जगह में मरम्मति का कार्य करवा कर वहां बछड़ु घर बनाने और बालाजी मंदिर के बगल में टीना का शेड बनाने सहित नीम गाँछ खटाल का विस्तारीकरण के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया.

KAILASHKUMAR

अध्यक्ष *महासचिव*

भारत सरकार
Government of India

कैलाश सरायवाला
Kailash Saraiwala
जन्म तिथि/DOB: 26/12/1967
पुरुष/ MALE

2238 8592 8285
VID : 9132 3212 5355 9634

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

आधार

पता:
S/O बिश्वनाथ सरायवाला, एच.न.40, नॉथ वेस्ट,
सी.एच.एरिया,रोड न.15,वे टू आशियाना गार्डन, जमशेदपुर,
सोनारी, पूर्वी सिंहभूम,
झारखण्ड - 831011

Address:
S/O Bishwanath Saraiwala, H.No.40, North
West, C.H.Area,Road No.15,Way To
Ashiyana Garden, Jamshedpur, Sonari, East
Singhbhum,
Jharkhand - 831011

QR Code with Photograph

2238 8592 8285
VID : 9132 3212 5355 9634

1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in

KAILASHKumar

।।गौमाता की जय।।

☎ : 0657-2291085

श्री टाटानगर गौशाला
SRI TATANAGAR GOUSHALA

पोस्ट : जुगसलाई, जमशेदपुर- 831006 / P.O. : Jugsalai, Jamshedpur - 831006 (Jharkhand)
Email : tatanagargoushala1919@gmail.com / Website : sritatanagargoushala.com

Date: 7th May, 2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to confirm that the Trustees of **SRI TATANAGAR GOUSHALA** has authorized on dated 11th October, 2017 to Mr. Kailash Saraiwala (President) of SRI TATANAGAR GOUSHALA for the construction of **"Market Complex"** in the premises of **SRI TATANAGAR GOUSHALA**.

TRUSTEES OF SRI TATANAGAR GOUSHALA

1. Ramesh Kumar Agarwalla
2. Gajanand Bhalotia
3. Anil Agarwalla
4. Umesh Kauntia
5. Bimal Murarka

श्री टाटा नगर गौशाला
जुगसलाई, जमशेदपुर

श्री टाटा नगर गौशाला
का
संविधान

"श्री"

।। गोमाता की जय ।।

श्री टाटानगर गौशाला का सर्व सम्मति से स्वीकृत संविधान नीचे लिखे अनुसार लिखित एवं सुरक्षित है । इसमें दिनांक ३१.१२.९५ तक के पारित सभी संशोधन समायोजित है ।

भूमिका

यह संस्था पहली जुलाई, १९२० में स्थापित हुई । तब से अपने उद्देश्य की पूर्ति करती हुई सुचारू रूप से संचालित तथा उन्नति पथ पर अग्रसर हो रही है । यह संस्था बिहार राज्य गौशाला पिंजरापोल संघ, पटना से संवद्ध है एवं उसकी सन् १९४८ से सदस्य हैं । भविष्य में चैरीटेबल एक्ट के अन्तर्गत इसका निबंधन भी करवाया जा सकता है । यह संस्था सर्वसाश्धारण एवं गोवंश के सम्पूर्ण कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर पुष्पित एवं पल्लवित होती रहेगी । यह संस्था बिहार गौशाला एक्ट १९५० की धारा ६ के अन्तर्गत निबंधित है । इसकी निबंधन संख्या २५ दिनांक ८/७/१९५२ है ।

विधान

१. नाम :- इस संस्था का नाम "श्री टाटानगर गौशाला" होगा।

२ कार्यालय :- इस संस्था का मुख्य कार्यालय मुकाम - जुगसलाई, थाना - जुगसलाई, पोस्ट - जुगसलाई, जमशेदपुर, जिला - सिंहभूम में रहेगा । इसकी शाखाएं इसी नाम से या अन्य नाम से चालू कार्य समिति के निर्णयानुसार खोली जा सकेंगी एवं शाखाओं के कार्यालय भी उसी प्रकार से खोले जा सकेंगे ।

३. उद्देश्य :- इस संस्था के नीचे लिखानुसार उद्देश्य होंगें ।

(क) गौवंश की सम्मुन्नति एवं सम्पूर्ण कल्याण तथा रक्षा एवं गोधन की अभिवृद्धि करना ।

(ख) गोवंश की नस्ल में प्राचीन एवं वैज्ञानिक (आधुनिक) उपायों द्वारा सुधार लाना तथा सुन्दर एवं उपयोगी बाछा-बाछी एवं सांढ़ तथा गायों को तैयार करना ।

(ग) दुग्धवती गायों को पालना, उत्तम दुग्ध उत्पादन की दिशा में कार्य करना तथा विशुद्ध दुध को उचित मूल्य पर जनता में वितरित कर सर्व साधारण को लाभ पहुँचाना ।

(घ) गौशास्त्र के ज्ञान की अभिवृद्धि का जनता में प्रचार तथा प्रयत्न करना तथा गौवंश दुग्ध उत्पादन तथा गौपालन संबन्धित साहित्य प्रकाशन एवं संग्रह की व्यवस्था एवं संचालन करना । गौसाहित्य के संग्रहालय की स्थापना करना ।

(ड़) गौमूत्र एवं गोवर से खाद बनाना तथा गौमूत्र एवं गोवर के अन्य उपयोगों की खोज करना एवं खतिहरों को उचित मूल्य पर उपयोगी खाद देना । उत्तम खाद का वितरण कर कृषि को लाभ पहुँचाना । गौमूत्र चिकित्सा की व्यवस्था करना ।

(च) उत्तम चारागाह तथा कृषि फार्म स्थापित कर, हरे एवं सूखे चारे का प्रबन्ध करना । प्राचीन एवं आधुनिक उपायों द्वारा उन्नत चारे का उत्पादन कर गोवंश के भोजन का उचित एवं उन्नत प्रबन्ध करना । प्राप्त चारे एवं कृषि योग्य भूमि के विकास का समुचित प्रबन्ध करना । गोचर भूमि में वृद्धि करना ।

(छ) दुग्ध उत्पादन, गोवंश की नस्ल सुधार, कृषि, चारागाह एवं गौशास्त्र के प्रचार तथा जन कल्याण के किसी भी उपयोगी एवं आवश्यक कार्य की दिशा में खोज, प्रचार, प्रबन्ध एवं संचालन की ओर अग्रसर होना । जन कल्याण कारी कार्यो को संपादित एवं संचालित करना ।

४. कार्य :- उपरोक्त उद्देश्यों एवं भावनाओं को क़ार्य द्वारा मूर्त रूप देने के लिए यह संस्था निम्नलिखित कार्य करेंगी ।

(क) व्यक्तिगत एवं सामूहिक गौपालन को प्रोत्साहन देना।

(ख) अच्छे नस्ल के बाछे एवं सांढ़ तैयार करना तथा उन्हें उचित एवं रिंयायती मूल्य पर गोपालकों को देना । गौशाला के लिए गायें बनाने के लिए उपयोगी एवं आवश्यक बाछियों की व्यवस्था करने के बाद डेढ़-दो साल उम्र की बाछियों के पालने के ईच्छुक जन साधारण को उचित मूल्य पर देना ।

(ग) बधिया करने की पुरानी निर्दय प्रथा को रोकना और उसकी जगह कम से कम वेदना वाली पद्धति को लागू करना ।

(घ) अपाहित, दुर्वल, अनाथ एवं दुर्घटनाग्रस्त गोवंश के जीवन-यापन एवं दवा दारू का समुचित प्रबन्ध करना तथा संरक्षण देना ।

(ड़) गोचर भूमि और चारे के लिए उपयुक्त खेती योग्य जमीन में वृद्धि उसका विकास एवं चारे की खेती करवाना । चारागाह योग्य नई जमीने खरीदना या दान में प्राप्न करना।

(च) गायों का घी, दूध और उनसे बने पदार्थो का उत्पादन करना एवं उनके प्रति जनता की रूचि बढ़ाना ।

(छ) गायों की नस्ल सुधार का कार्य तथा समुचित खुराक चारा एवं पानी का प्रबन्ध करना तथा पशुचिकित्सा विषयों में खोज करना या करवाना तथा उनके परिणामों का जनता में प्रचार करना एवं गौशाला के अन्तर्गत पशुचिकित्सालय खोलना एवं उसका संचालन करना। पशु चिकित्सालय द्वारा गौशाला एवं बाहर के पशुओं की चिकित्सा का प्रबन्ध करना ।

(ज) गायों के स्थास्थ्य पूर्ण रहन-सहन के लिए गौशाला के अन्तर्गत भवनों का निमार्ण करना । जन-कल्याण एवं सेवा के लिए भवनों का निर्माण करना तथा भाड़ा प्राप्ति के उद्देश्य से भवनों का निर्माण करना । भवनों की समुचित सफाई एवं देख-भाल का प्रबन्ध करना।

(झ) सम्पूर्ण गोबध बन्द कराने का प्रयत्न करना ।

(ञ) गौपालकों को उचित शिक्षा एवं आवश्यक प्रोत्साहन देना।

(ट) अच्छे एवं प्रशिक्षित गोसेवक तैयार करना ।

(ठ) गौसेवा संबन्धी साहित्य प्रकाशित करना एवं गोवंश से सम्बंन्धित साहित्य का संग्रह करना या संग्राहलय रखना । पत्रिका एवं स्मारिका प्रकाशित करना ।

(ड) संस्था के संचालनार्थ वित्ति एवं धन-संग्रह करना, आर्थिक एवं अन्य सभी प्रकार की सहायता प्राप्त करना । दान, चन्दा वं धर्मादा प्राप्त करना । तथा गौशाला के लिए उचित ढ़ंग से व्यय करना । भवनो से प्राप्त किराये को गौशाला के विकास में खर्च करना ।

(ढ़) समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाली वित्ति की दर में परिवर्तन करना तथा वित्ति से छूटे व्यापारों एवं उद्योगों पर वित्ति की लाग चालू करना । वित्ति वसूल करना ।

(ण) गौशाला के विकास, दुध-उत्पादन में वृद्धि, भवन निर्माण, चारागाह के लिए जमीन खरीदना इत्यादि आवश्यक कार्यो के लिए जरूरत पड़ने पर व्यक्ति, व्यापारिक संस्थान, वित्तिय संस्थान एवं बैंकों से ब्याज एवं बिना ब्याज के ऋण प्राप्त ऋण वापस करने का प्रबन्ध करना ।

(त) प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त करना। तथा ऋण प्राप्त करने का प्रबन्ध करना ।

(थ) दुग्ध-उत्पादन प्रतियोगिता एवं पशु-प्रदर्शनी आदि में भाग लेना एवं समय-समय पर प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करना । प्रत्येक वर्ष गौशाला प्रांगण में गोपाष्टमी मेले का आयोजन करना । गौशाला अधिवेशन आयोजित करना तथा गौसंवर्द्धन सप्ताह मनाना। चंदा एकत्र करना ।

(द) गौशाला के भाड़ा योग्य भवन एवं दूकानों को भाड़े पर देना, भाड़ा वसूल करना एवं गौशाला के भवनों की देख-भाल का प्रबन्ध करना । गौशाला भवनों से प्राप्त भाड़ा एवं अन्य आय को गौशाला कोष में जमा करना तथा खर्च के लिए उपयोग करना ।

(ध) गौशाला के अर्थ को सुरक्षित रखना तथा बैंकों में खाते इत्यादि खोलना तथा बन्द करना ।

(न) गौशाला के कार्यो के सम्यक संचालन के लिए वेतन पर कर्मचारियों एवं अफसरों की नियुक्ति करना तथा गौशाला कोष से या सरकारी अनुदान से उनके वेतन भुगतान का प्रबन्ध करना ।

(प) गौशाला के दिन-प्रतिदिन के खर्च के लिए समान एवं चारा वगैरह नगद या उधार खरीदने का प्रबन्ध करना तथा उधार खरीदे गये समानों के भुगतान का प्रबन्ध करना। चारा एवं पशु खाद्य दान में प्राप्त करना ।

(फ) उपरोक्त उद्देश्यों एवं कार्यो की पूर्ति तथा सुचारू रूप से संचालन के लिए संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों द्वारा निर्वाचित २१ (इक्कीस) सदस्यों की एक

कार्यसमिति का निर्वाचन करना । इसका नाम श्री टाटानगर गौशाला कार्य समिति होगा । इस समिति के २१ (इक्कीस) सदस्यों की संख्या के अन्तर्गत ही पदाधिकारी भी निर्वाचित होंगें । जो सभी प्रकार के सदस्यों में से एवं उनके द्वारा ही निर्वाचित होंगे ।

(ब) संरक्षक सदस्यों में से एवं उनके द्वारा ही निर्वाचित एक संरक्षक मंडल होगा । संरक्षक मंडल के सदस्य ५ संरक्षक सदस्य चुने जायेंगे । इन्हीं पांच संरक्षक सदस्यों में से एक गौशाला के संरक्षक चुने जायेंगे । इसका चुनाव प्रत्येक ५ वर्षो में होगा ।

५. नियम :- (क) सदस्य :- इस संस्था के निम्नलिखित ४ प्रकार के सदस्य होंगे ।

१. साधारण सदस्य, २. आजीवन सदस्य, ३. संरक्षक सदस्य एवं ४. सम्मानीय सदस्य ।

१. साधारण सदस्य :- व्रही व्यापारी, व्यक्ति, संयुक्त परिवार, फर्म एवं कम्पनी साधारण सदस्य समझा जायेगा जो एक वर्ष में कम से कम ५०१/- (पांच सौ एक रूपये) बतौर चन्दा, वित्ति, दान, धर्मादा या सब मिलाकर या सदस्यता शुल्क के रूप में प्रत्यक्ष रूप से देता हो तथा जिनकी उम्र कम से कम २१ (इक्कीस) वर्ष हो एवं गौशाला के उद्देश्यों एवं नियमों को मानता हो या मानने की प्रतिज्ञा या शपथ ग्रहण करता हो । निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देने तथा कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर ही सदस्यता मान्य तथा निबंधित हो सकेगी ।

२. आजीवन सदस्य :- दान स्वरूप एक मुस्त कम से कम २१०१/- (दो हजार एक सौ एक) रूपया नगद

गौशाला को देने वाले या किसी प्रकार की सहायता देने वाले व्यक्ति या व्यापारी या संस्थान एवं परिवार इस संस्था के आजीवन सदस्य हो सकेंगे । कार्यकारिणी समिति अपनी बैठक में इस प्रकार की सदस्यता को मान्यता देगी । परन्तु सदस्यता के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी । वित्ति की रकम एवं अन्य लाग इसमें नहीं जुड़ेगी ।

३. संरक्षक सदस्य :- दान या सहायता स्वरूप एक मुस्त कम से कम ५१०१/- (पांच हजार एक सौ एक रूपया) रूपया नगद इस संस्था को देने वाले व्यक्ति (स्त्री या पुरूष) कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से इस संस्था के संरक्षक सदस्य हो सकेंगे । यह सदस्यता भी आजीवन होगी । आवेदन इसके लिए भी आवश्यक नहीं होगा । वित्ति की रकम एवं अन्य लाग इसमें नहीं जुड़ेगी । इन्ही संरक्षक सदस्यों में से उनके द्वारा ही ५ (पांच) संरक्षकों के संरक्षक मंडल का भी चुनाव होगा ।

४. सम्मानीय सदस्य :- कार्यकारिणी समिति को यह अधिकार होगा कि वह जिन्होंने भूतकाल में गौशाला की सेवा की हो या जिनसे भविष्य में अच्छी सेवा या सहायता मिलने की संभावना हो उन्हें सर्वसम्मति से या बहुमत द्वारा गौशाला की सदस्यता प्रदान कर दें। इसके लिए किसी प्रकार की शुल्क की वाध्यता नही होगी । किसी प्रकार के आवेदन तथा निबंधन प्राप्त करने की इन सदस्यों को आवश्यकता नहीं होगी । परन्तु इस प्रकार के सदस्यों के मनोनयन के लिए मंत्री या अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव आना चाहिए तथा कम से कम कार्यकारिणी के एक सदस्य द्वारा समर्थन किया

जाना चाहिए । यह सदस्यता आजीवन होगी । इस प्रकार के सदस्य चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे । एवं कार्यसमिति की सदस्यता को छोड़कर अन्य किसी पद के प्रत्याशी बनकर चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगें ।

६. साधारण सभा :-

(क) चारों प्रकार के सदस्यों की सम्मिलित बैठक को साधारए सभा कहा जायेगा । साधारण सभा का कम से कम एक वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष गोपाष्टमी के दिन निश्चित रूप से हुआ करेगा । गौशाला का वर्ष अप्रैल से मार्च तक बारह महिनों का होगा ।

(ख) प्रत्येक २ वर्ष में साधारण सभा का आयोजन करके कार्यकारिणी समिति एवं पदाधिकारियों का चुनाव तथा पिछले वर्ष का आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत कर स्वीकृत करवाया जायेगा । सभापति की अनुमति से अन्य आवश्यक विषयों पर भी विचार-विमर्श किया जा सकेगा । परन्तु संविधान में परिवर्तन या संशोधन इस साधारण सभा में नहीं हो सकेगा । साधारण सभा की अध्यक्षता गौशाला के अध्यक्ष करेंगें ।

(ग) साधारण सभा को कार्यसमिति एवं पदाधिकररियों द्वारा किए गये कार्यो एवं निर्णयों पर विचार करने एवं सर्वसम्मति या बहुमत द्वारा निर्णय लेकर भविष्य के लिए निर्देश देने का अधिकार होगा । कार्यसमिति एवं पदाधिकारी उक्त निर्णय को मानने के लिए वाध्य रहेंगें ।

(घ) यदि निर्धारित समय पर किसी भी कारण से चुनाव पूर्ण तथा सम्पन्न नही हो सके तो चालू कार्यसमिति एवं पदाधिकारी नये चुनाव होने तक एवं नई कार्यसमिति की प्रथम बैठक सम्पन्न हो जाने तक वैधानिक रूप से कार्य करते रहेंगे तथा अपने सभी अधिकार एवं कर्त्तव्यों का सदुपयोग कर सकेंगे । परन्तु किसी भी परिस्थिति में किसी कार्यसमिति एवं पदाधिकारियों का कार्यकाल उनके निर्वाचन तिथि से ३ वर्ष तक का ही रहेगा । सभी कार्य समिति सदस्य एवं पदाधिकारी पुन: निर्वाचित होने के लिए प्रत्याशी हो सकेंगे । निर्वाचन की तिथि से ३ वर्ष समाप्त होते ही चालू कार्यसमिति का कार्यकाल स्वत: समाप्त हो जायेगा । तथा कार्यसमिति के पूरे अधिकार एवं कर्त्तव्य संरक्षक मंडल को प्राप्त हो जायेंगे । कार्यकाल समाप्ती के पूर्व कभी भी कार्यसमिति के निर्णयानुसार तिथि निर्धारित करते हुए साधारण सभा बुलाकर चुनाव कराया जा सकता है । स्थगित साधारण सभा बुलाने के लिए आंशिक कार्यो के सम्पन्न होने के बाद में समय या कोरम सम्बन्धी पावन्दी नहीं लगेगी ।

(ड़.) गौशाला की अचल सम्पति की विक्री संरक्षक मंडल की अनुमति तथा साधारण सभा में उपस्थित दो तिहाई बहुमत के निर्णय के अनुसार ही की जा सकेगी ।

७. कार्यकारिणी समिति :-

(क) गौशाला के दैनिक कार्य संचालन एवं प्रबन्ध के लिए साधारण सभा द्वारा निवार्चित २१ (इक्कीस) सदस्यों की (पदाधिकारी सहित) एक कार्य समिति होगी ।

प्रति माह गौशाला कार्यसमिति की बैठक होगी । कार्य समिति सदस्यों या पदाधिकारियों का कोई भी स्थान या पद रिक्त होने पर कार्यसमिति निर्णय लेकर उस स्थान पर नया मनोनयन कर सकेगी । इसके लिए साधारण सभा की बैठक बुलानी आवश्यक नहीं होगी। नये चुनाव या मनोनयन तक स्वयं या मंत्री के आदेशानुसार कोई उप मंत्री रिक्त पदों के कार्यो को सम्भाल सकेंगे । कार्यसमिति की सदस्यता से या किसी भी पद से त्याग पत्र कार्यसमिति द्वारा स्वीकृत होने पर मान्य होगा । सभी प्रकार के त्याग पत्र अध्यक्ष को दिये जाने चाहिए । अध्यक्ष यदि त्याग पत्र देंगे तो कार्यसमिति की बैठक में स्वयं प्रस्तूत करेंगे । गौशाला के अध्यक्ष कार्यसमिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे । अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों की अनुपस्थिति में सभा में उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति या बहुमत की इच्छानुसार सज्जन सभा की अध्यक्षता करेंगे । मंत्री इस सभा को आमंत्रित करेंगे । विगत मास का आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । कार्यसमिति अन्य आवश्यक विषयों पर भी अध्यक्ष से अनुमति लेकर विचार-विमर्श कर सकेंगी एवं निर्णय ले सकेंगी। कार्यसमिति की बैठक की सूचना कम से कम एक दिन पहले सदस्यों को मिलनी आवश्यक होगी। परन्तु अनजाने में भूल से कोई सभा की सूचना किसी सदस्य को न मिलने पर सभा की कार्यवाहियां एवं निर्णय की वैधता पर कोई असर नहीं होगा ।

(ख) **विशेष सभा एवं संकटकालीन बैठक :-** यदि कोई ऐसा महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषय आ उपस्थित हो, जिसके समाधान के लिए गौशाला की साधारण सभा या कार्यसमिति की बैठक वांछनीय हो एवं अनिवार्य समझी जाय जो मंत्री अपने विवेक के अनुसार विचारणीय विषयों की सूची के साथ सूचना देकर ऐसी सभा बुला सकेंगे । सूचना सम्बन्धी समय की पावन्दी ऐसी सभा के लिए नहीं होगी । किसी सदस्य को सूचना न मिलने की शिकायत का असर सभा में लिये गये निर्णयों पर नहीं पड़ेगा । कोरम पूरा होना इस सभा के लिए आवश्यक होगा । निर्धारित समय से आधा घंटा के अन्दर यदि कोरम पूरा न हो तो सभा अगली तिथि की घोषणा के साथ स्थगित हो जायेगी ।

(ग) **आवश्यक सभा :-** साधारण सभा के लिए कम से कम १०१ तथा कार्यसमिति की बैठक के लिए कम से कम ११ सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त पत्र पाने के १५ दिनों के अन्दर मंत्री ऐसी सभा बुलाने के लिए सूचना निकाल देंगे । यदि मंत्री महोदय ऐसा नही करेंगे तो सभा बुलाने के लिए पत्र देने वाले सदस्य ऊपर लिखी संख्या के अनुसार अपने सम्मलित हस्ताक्षरों द्वारा सभा की सूचना देकर साधारण सभा या कार्यसमिति की बैठक बुला सकेंगे । इस प्रकार की सूचना को मंत्री के द्वारा दी गई सूचना माना जायेगा । इस प्रकार की सभा के आयोजन के लिए दी जाने वाली सूचना में कार्य विषय, स्थान, समय एवं तिथि स्पष्ट रूप से लिखित होनी चाहिए । ऐसी सभा में पूर्व सूचित विषयों के अलावे अन्य किसी भी विषय पर विचार विमर्श नहीं किया जायेगा । सभा के लिए निर्धारित समय के आधे घंटे के भीतर

निर्धारित स्थान पर कोरम पूरा नहीं हुआ तो सभा स्थगित समझी जायेगी । इस प्रकार की सभा के लिए सात दिन पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ।

(घ) **स्थगित सभा :-** कोरम के अभाव में या किसी अन्य कारण से स्थगित सभा पुनः उसी क्रम में कोरम की एवं सभा की सूचना की समय संबन्धी पावन्दी नहीं रहेगी । आंशिक कार्यो के सम्पादन के वाद स्थगित सभा के क्रम में पुनः होने वाली सभा में सिर्फ उन्हीं विषयों पर विचार हो सकेगा या कार्य सम्पादन हो सकेगा जो कार्य या विषय बच गये हों । इस प्रकार की सभा को सभापति की अनुमति से समय एवं तिथि निर्धारित कर मंत्री बुला सकेंगे ।

८. गौशाला कार्यसमिति के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे तथा कार्यसमिति एवं पदाधिकारियों के नीचे लिखे अनुसार अधिकार एवं कर्त्तव्य होंगे ।

(क) पदाधिकारी - अध्यक्ष-१, उपाध्यक्ष-२, मंत्री-१, उपमंत्री-२, कोषाध्यक्ष-१ एवं लेखा परीक्षक-१

(ख) कार्यसमिति एवं पदाधिकरयों का चुनाव साधारण सभा में प्रति दो वर्ष पर हुआ करेगा । उक्त पदाधिकारी ही कार्यसमिति के पदाधिकारी होंगे तथा गौशाला के पदाधिकारी समझें जायेंगे । इन्हें मिलाकर ही कार्यसमिति के सभी सदस्यों की संख्या २१ होगी। कार्य की अधिकता एवं सम्यक कार्य संचालन के लिए आवश्यकता पड़ने पर कार्यसमिति अपने निर्णय के द्वारा अधिकतम २० सदस्यों की एक अतिरिक्त कार्यसमिति का मनोनयन कर सकेगी । अतिरिक्त कार्यसमिति के सभी सदस्यों को कार्यसमिति के

अनुसार ही अधिकार एवं कर्त्तव्य प्राप्त होंगे । विभिन्न कार्यो को विभागों में बांट कर प्रत्येक विभाग के लिए कम से कम ३ एवं अधिकतम ७ सदस्यों की उपसमिति या उपसमितियों का गठन कार्यसमिति कर सकेगी । उप समितियों का कार्य-प्रणाली एवं अधिकारों का विवेचन तथा कार्यो की सीमा का निर्धारण कार्य समिति करेगी । उपसमिति की बैठक उसके संयोजक बुलायेंगे । सभी उपसमितियों की बैठकों में अध्यक्ष एवं मंत्री उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं । कार्यसमिति अपने पूर्ण या आंशिक अधिकार उपसमितियों को दे सकेगी । कभी भी किसी उपसमिति का कार्य असंतोष जनक पाये जाने पर कार्यसमिति उसे भंग कर सकती है एवं उनके स्थान पर नई उपसमिति का गठन कर सकती है ।

(ग) गौशाला के प्रचारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गौशाला दैनिक कार्य सम्पादन एवं प्रबंध की जिम्मेवारी कार्यसमिति की सम्मिलित रूप से होगी । अर्थ संग्रह एवं व्यय का उत्तरादायित्व कार्यसमिति का सम्मिलित उत्तरादायित्व होगा ।

(घ) वार्षिक अधिवेशन एवं वार्षिक उत्सव की तिथि एवं कार्यक्रम का निर्धारण कार्यसमिति करेगी । वार्षिकोत्सव की अध्यक्षता के लिए कार्यसमिति किसी भी योग्य सज्जन को आमंत्रित कर सकेगी । वार्षिकोत्सव एवं अधिवेशन सम्बंधी अन्य कार्यो के सम्पादन के लिए आवश्यकता समझे जाने पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कार्य भार या किसी भी कार्य के लिए उपसमिति का गठन कर कार्य भार देने का अधिकार कार्यसमिति को होगा । कार्यसमिति द्वारा

गठित सभी प्रकार की उपसमितियां कार्यसमिति के प्रति उत्तरादायी होगी ।

(ड.) गौशाला के कार्यों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति या पदोन्नति पदमुक्त पदच्युत किसी भी प्रकार का दंड-पुरस्कार या किसी भी प्रकार का आर्थिक दंड वेतन निर्धारण का अधिकार कार्यसमिति को होगा ।

(च) गौशाला के सभी प्रकार की सम्पति की वृद्धि एवं नवनिर्माण तथा मरम्मत करवाने तथा अचल सम्पति क्रय करने तथा जमीन वगैरह क्रय करने का अधिकार कार्यसमिति को होगा । सभी सम्पतियों के लाभप्रद उपयोग एवं किराये पर देने का अधिकार कार्यसमिति को होगा ।

(छ) सभी प्रकार के लेखा पुस्तकों, महत्वपूर्ण कागजातों की फाईलें, सम्पति सम्बन्धी कागजात की सुरक्षा, देखभाल एवं रखने की जिम्मेवारी कार्यसमिति की होगी ।

(ज) गौशाला के विकास एवं लाभ के लिए कार्यसमिति गौशाला की अचल सम्पति का पुनः निर्माण नव निर्माण एवं स्वरूप बदलने का कार्य कर सकेगी ।

९. **संरक्षक मंडल :-** गौशाला की सारी अचल सम्पति संरक्षक मंडल की निगरानी में रहेगी । संरक्षक मंडल की अनुमति के बिना कोई भी अचल सम्पति नहीं बेची जा सकेगी या बन्धक रखी जा सकेगी । संरक्षक मंडल के ५ सदस्य अपने में से एक को संरक्षक मंडल का अध्यक्ष चुनेंगे । संरक्षक मंडल के अध्यक्ष या कोई भी दो संरक्षक मंडल सदस्य अपने हस्ताक्षर द्वारा मंडल की बैठक आमंत्रित कर सकेंगे। संरक्षक मंडल के अध्यक्ष या उनके अनुपस्थित रहने पर कोई

भी संरक्षक सदस्य संरक्षक मंडल की बैठक की अध्यक्षता कर सकेंगे । संरक्षक मंडल के सर्व सम्मति निर्णय के अनुसार अध्यक्ष एवं संरक्षकों द्वारा आमंत्रण भेज कर गौशाला के सदस्यों के विशेष बैठक या संकटकालीन बैठक बुलाई जा सकेंगी । इस बैठक का निर्णय कार्यसमिति को मान्य होगा ।

१०. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-

(क) **अध्यक्ष :-** कार्यकारिणी समिति की बैठकों तथा सभी प्रकार की साधारण सभा की अध्यक्षता करना तथा सभा की कार्यवाही संचालन करना । गौशाला की विविध प्रकार की व्यवस्थाओं की सर्वोच्य देखभाल करना एवं बैठक में मतगणना आवश्यक होने पर मत लेना तथा अपना दूसरा एवं निर्णायक मत प्रदान करना ।

(ख) **उपाध्यक्ष :-** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के सारे अधिकारों का सदुपयोग अध्यक्ष के पूर्व लिखित आदेश के अनुसार कोई भी एक उपाध्यक्ष करेंगे । अध्यक्ष के सभी दायित्वों एवं कर्त्तव्यों का पालन भी उपाध्यक्ष के कर्त्तव्य एवं दायित्व होंगे ।

(ग) **मंत्री :-** गौशाला की विविध कार्य व्यवस्थाओं, आवश्यकताओं तथा आवश्यक मसलों के समाधानार्थ कार्यसमिति एवं सभी प्रकार की बैठके बुलाना तथा आवश्यक अनुमति एवं सम्मति प्राप्त करना । कार्यसमिति की बैठकों में विगत बैठक की कार्यवाही पढ़ कर सुनाना तथा विषय सूची के अनुसार बैठक में विचार-विमर्श को प्रगति देना । कार्यसमिति का प्रतिनिधित्व करना एवं कार्यसमिति के निश्चयों तथा निर्णयों के अनुसार विविध कार्य व्यवस्थाओं को प्रगति

देना, देखभाल करना, जांच करना तथा कर्मचारियों को आवश्यक आदेश तथा निर्देश देना । गौशाला की कार्य व्यवस्थाओं सम्बन्धी सभी पत्राचारों को करना एवं करवाना एवं उन पर हस्ताक्षर करना तथा सामयिक निरीक्षण एवं देखभाल की व्यवस्था करना तथा तद् सम्बन्धी आदेशों का निर्गत करना । गौशाला की सर्वांगीण व्यवस्था का विधिवत संचालन करना तथा करवाना । आवश्यक निर्देश-आदेश निर्गत करना । कर्मचारियों के लिय नियम बनाना तथा नियमों का पालन करवाना । गौशाला के वार्षिकोत्सव पर विगत वर्ष का कार्य-विवरण एवं उपलब्धियों एवं हानियों का प्रतिवेदन तैयार करना तथा सबकी जानकारी हेतु पढ़कर सुनाना एवं प्रकाशित करना । गौशाला की अर्थ-व्यवस्था जैसे आय-व्यय का प्रबन्ध, व्यवस्था एवं संचालन करना । गौशाला के कार्यो की आवश्यकतानुसार कर्मयारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदमुक्त, दंड-व्यवस्था, वेतन-निर्धारण, पुरस्कार एवं दंड निर्धारण इत्यादि कार्य करना तथा कार्यसमिति को उपरोक्त कार्यो से अवगत कराना तथा आवश्यक सम्मति प्राप्त करना ।

(घ) **उप मंत्री :-** मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री की पूर्व सूचना एवं आदेशानुसार या कार्यसमिति के निर्णयानुसार मंत्री के सारे अधिकार एवं कर्त्तव्यों का पालन करना। मंत्री की उपस्थिति में भी मंत्री के सारे कार्यो में सहयोग करना । मंत्री द्वारा दिये गये कार्यो का संपादन कर गौशाला की देखभाल करना ।

(ड.) **कोषाध्यक्ष :-** गौशाला कोष की समुचित आय-व्यय की देख-भाल एवं मंत्री के अनुमति से गौशाला कार्यो

के व्यय के लिए भुगतान का प्रबन्ध करना । सभी भुगतानों के लिए रसीद लेना तथा आय के लिए रसीद निर्गत करना या करवाना । कोषाध्यक्ष का कर्त्तव्य होगा । दैनिक रोकड़ एवं आय-व्यय की पुस्तकों को दैनिक जांच करते रहना तथा धन के अपव्यय को रोकने के लिए कार्यसमिति एवं मंत्री को उचित सम्मति देना । मासिक आय-व्यय का विवरण तैयार करवा कर कार्यसमिति की बैठकों में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना ।

(च) **हिसाब परीक्षक :-** गौशाला की सभी प्रकार की लेखा पुस्तकों की जांच करते रहना तथा अनियमितताओं से समय-समय पर मंत्री एवं कार्यसमिति को अवगत करवाते रहना । लेखा पुस्तकें लिखने एवं रखने के सम्बन्ध में उचित सम्मति देना । लेखापाल को समुचित निर्देश देना ।

(छ) **कोरम एवं मतगणना :-** साधारण सभा में ५१ और कार्यसमिति की बैठक में ७ सदस्यों की उपस्थिति से कोरम पूरा होगा । कोरम पूरा होने पर ही सभा की कार्यवाही शुरू होगी । प्रत्येक उपस्थित सदस्य का एक मत होगा । मत की समता आने पर अध्यक्ष को द्वितीय निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

११. **निर्वाचन अधिकार :-** मताधिकार एवं विधान परिवर्तन :- किसी भी प्रकार के सदस्य को एक मत का अधिकार होगा। मत उपस्थित सदस्यों द्वारा ही दिया जा सकेगा । पदाधिकारियों के निर्वाचन में शामिल होने वाले प्रत्याशी को सभा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा । कार्य समिति के सदस्य प्रत्याशी को भी उपस्थित रहना अनिवार्य होगा ।

(क) मताधिकार का उपयोग अप्रत्यक्ष (गुप्त) मतदान द्वारा किया जा सकेगा । कार्यसमिति इस सम्बन्ध में नियम बना सकेगी ।

(ख) पदाधिकारियों समेत कार्यसमिति सदस्यों का चुनाव विभिन्न प्रकार के सदस्यों में से नीचे लिखे अनुसार संख्याओं में किया जायेगा । प्रत्याशियों का चुनाव साधारण सभा के सभी सदस्यों की एवं सबके मतों की एक साथ गणना तथा बहुमत या सर्वसम्मति से होगा । परन्तु सदस्यों का चुनाव उसी श्रेणियों के सदस्यों द्वारा होगा । ८ पदाधिकारियों के बाद शेष कार्यसमिति :-

संरक्षक सदस्यों में से	-	३
आजीवन सदस्यों में से	-	३
साधारण सदस्यों में से	-	७
कुल	-	१३ सदस्य चुने जायेंगे।

कुल २१ सदस्य (पदाधिकारी समेत) चुने जायेंगे । यह चुनाव साधारण सभा में जो कम से कम एक माह पूर्व सूचना निकाल कर बुलाई गई होगी में होगा । निर्वाचित कार्यसमिति एवं पदाधिकारियों का कार्यकाल दो वर्ष तक का होगा या अगली कार्यसमिति के निर्वाचन तक होगा । पदाधिकारियों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आम सभा में ही सभी प्रकार के सदस्यों में से उपरोक्त निर्धारित संख्या के अनुसार ही किया जा सकेगा ।

(ग) कार्य समिति के सर्व सम्मति निर्णय द्वारा या साधारण सदस्यों की सभा में उपस्थिति के तीन-चौथाई बहुमत के द्वारा पूर्व निर्धारित चुनाव प्रणाली या चुनाव के

तरीकों में पूर्ण एवं आंशिक परिवर्तन किया जा सकेगा। इसे सभा की कार्यवाही में अंकित करना अनिवार्य होगा ।

(घ) **विधान परिवर्तन** :- कार्यसमिति से पारित विधान परिवर्तन संशोधन या परिवर्तन या प्रस्ताव या कोई भी नियम परिवर्तन एक माह पूर्व सूचना देकर बुलाई गई साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत द्वारा पारित होने पर ही मान्य होगा । तथा संविधान पुस्तिका में तदनुरूप लिखा या संशोधन किया जा सकेगा ।

(ङ.) **अपील** :- गौशाला के किसी भी कर्मचारी को प्रचलित कानूनों के अनुसार सेवा निवृत करने, दंड देने का पूर्ण अधिकार मंत्री को होगा । कर्मचारी चाहे तो मंत्री के आदेश के विरूद्ध अध्यक्ष या कार्यसमिति की बैठक में अपील प्रस्तुत कर सकता है । कार्यसमिति की बैठक में उपस्थित कम से कम तीन-चौथाई सदस्यों के बहुमत के निर्णय के अनुसार अध्यक्ष के आदेश में परिवर्तन सम्भव हो सकेगा ।

अध्यक्ष की स्वीकृति के अभाव में मंत्री या अध्यक्ष के आदेश के विरूद्ध कोई भी अपील कार्यसमिति में विचारार्थ प्रस्तुत नहीं की जा सकेगी । अध्यक्ष के निर्णय के विरूद्ध कोई भी कर्मचारी कार्य समिति के समक्ष अन्तिम अपील कर सकेगा । कार्य समिति का निर्णय सबको मान्य होगा । अध्यक्ष पुनः विचार के लिए भी कार्यसमिति से आग्रह कर सकते हैं । ऐसी स्थिति में कार्यसमिति को पुनर्विचार करना अनिवार्य होगा ।

१२. विविध :-

(क) कार्यसमिति के निर्णयानुसार प्रति वर्ष गोपाष्टमी से शुरू होकर गौशाला के प्रांगण में पांच या सात दिनों का मेला एवं प्रदर्शनी आयोजित होती रहेगी । मेले में गोपालन के प्रचार, गाय की उपयोगिता के प्रचार तथा गौशाला के लिए धन प्राप्ति या लाभ के लिए शिक्षा-प्रद नाटक, फिल्म शो, नौटंकी एवं निर्दोष आमोद-प्रमोद का प्रबन्ध किया जा सकेगा । कार्यसमिति के निर्णयानुसार मेले की व्यवस्था, स्वरूप इत्यादि निर्धारित या परिवर्तित किया जा सकेगा ।

(ख) यह संस्था सर्वदा परमार्थक रहेगी तथा किसी प्रकार का लाभ दान, चन्दा आय इत्यादि संस्था के उद्देश्य पूर्ति, संचालन, सुरक्षा, विकास आदि कार्यो के निमित ही व्यय किया जा सकेगा ।

(ग) सदस्यता के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप :-

श्रीयुक्त मंत्री महोदय,
श्री टाटानगर गौशाला,
जुगसलाई, जमशेदपुर - ८३१००६

मैं श्री टाटानगर गौशाला का साधारण सदस्य बनने का इच्छुक हूँ । गौशाला संविधान के नियम संख्या (५क) (१) के अनुसार गौशाला की प्रत्यक्ष रूप से वित्ति/चन्दा/धर्मादा/सदस्यता शुल्क देता हूँ । पिछले दो वर्षो का मेरा सदस्यता शुल्क उपरोक्त मदों में दिए के अनुसार चुकता है । मैं गौशाला के संविधान को मानते हुए गौशाला के नियमों के अनुसार ही यथा सम्भव सेवा करता रहूँगा ।

कृपया मेरी सदस्यता की स्वीकृति सदस्य संख्या के साथ मुझे नीचे लिखे पते पर सूचित की जाय ।

नाम :..

पता :..

क्रम संख्या :.........................

आपका,
हस्ताक्षर :
दिनांक :

श्री

पता

प्रिय महाशय,
दिनांक .... की कार्यसमिति की बैठक में आपकी साधारण सदस्यता संख्या .... स्वीकृत की गई है ।

सधन्यवाद !
दिनांक :
क्रम संख्या :

आपका,
मंत्री
श्री टाटानगर गौशाला